653

पत्रांक :– 14/अनु0 01–05/2012 का0 8793/

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/विभागीय प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी उपायुक्त, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 30.10.19

विषय :– **सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से सम्बन्धित नीति में संशोधन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की वर्ग 3 एवं वर्ग 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु यथा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को क्षान्त करने का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत परिपत्र पत्र सं०–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका (6) एवं (12) (v) में निरूपित है। तद्नुसार सेवा संहिता के नियम 54, परिशिष्ट–I में अंकित विशेष प्रावधान के आलोक में 50 वर्ष से कम आयु वाले केवल पति/पत्नी/माता/पिता/अविवाहित पुत्री/विधवा पुत्रवधू, विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री के मामले में प्रस्तावित पद से सम्बन्धित विभाग/विभागाध्यक्ष सेवा संहिता के नियम–54 (क) के तहत प्रदत शक्ति का प्रयोग कर अधिकतम उम्र सीमा को क्षान्त कर सकेंगे।

उक्त प्रावधान के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के आश्रित पुत्र तथा अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामले में अविवाहित भाई को सम्मिलित किए जाने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

2. इस विषय पर राज्य सरकार द्वारा सम्यकरूपेण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका (4) में मृत सरकारी सेवक के यथा परिभाषित सभी आश्रित सदस्यों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में आवश्यकतानुसार विहित प्रक्रिया के तहत अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त की जायेगी।

तद्नुसार विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 की कंडिका (6) एवं (12) (v) इस हद तक संशोधित समझी जायेगी।

विश्वासभाजन,

30/10/19

(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।